

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ-4/क्रमोन्नति/राउमावि/21307/2020-21

दिनांक : 07/09/20

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय) माध्यमिक

अलवर/बारा/बीकानेर/चूरू/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/करौली/जालौर/सवाईमाधोपुर।

विषय: 13 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

प्रसंग: शासन का पत्रांक- प0 4(6) शिक्षा-1/2019, जयपुर, दिनांक 07.09.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक शासकीय स्वीकृति के क्रम में बजट घोषणा 2019-20 के बिन्दु संख्या 127.03 की अनुपालना में संलग्न सूची अनुसार 13 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की निम्न शर्तों पर स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है-

शर्त:-

1. विद्यालय क्रमोन्नत सत्र 2020-21 से प्रारंभ होंगे।
2. स्वीकृति के वर्ष सुविधानुसार कक्षा 11 व 12 एक साथ प्रारंभ की जा सकती है।
3. इन विद्यालयों में कला संकाय स्वीकृत किया जाता है। कला संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रुचि के आधार पर किया जायेगा। इसके लिये सम्बन्धित जि0शि0अ0(मुख्यालय)-माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि वे क्रमोन्नत विद्यालय से कला संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण करवाकर प्रस्ताव इस कार्यालय की ई-मेल आई.डी.- Secondarydd2@gmail.com पर तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करवाए ताकि तदनुसार कला संकाय के 3 ऐच्छिक विषय स्वीकृत किये जा सकें।
4. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दु सं. 6.1 के अनुसार नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषयों के व्याख्याता ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जायेंगे।
5. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दु सं. 6.3 के अनुसार नवक्रमोन्नत विद्यालयों में नवसृजित व्याख्याताओं के पद भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में Operate किया जायेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती/ पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावेगी।
6. विद्यालय के क्रमोन्नत आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला व यू-डाईस कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें।

यह स्वीकृति वित्त विभाग(व्यय-1) की आई.डी. संख्या 131900208 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(सौरभ स्वामी)

अई.ए.ए.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. संयुक्त सचिव(जीवी), माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. उप शासन सचिव, शिक्षा (युप-1) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।

6. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
10. संबंधित संभागीय संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग।
11. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
12. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
13. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एबी/संस्थापन-एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण।
14. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

Rai

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

राज्य सरकार का पत्रांक: प. 4(6)शिक्षा-1/2019 जयपुर दिनांक: 07.09.2020
निदेशालय का पत्रांक: शिविरा-मा/माध्य/अ-4/क्रमोन्नति/राजभावि/21307/2020-21 दिनांक: 7.9.2020

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति	विधानसभा	ग्राम पंचायत	पू-डाईस कोड	क्रमोन्नत किए जाने वाले विद्यालय का नाम
1	अलवर	कटूमर	कटूमर	सहाडी	8061415903	राभावि कांटवाडी
2	अलवर	बहरोड	किसनगढ़बास	जागुवास	8060103001	राभावि तलवाड
3	अलवर	किसनगढ़बास	किसनगढ़बास	पाटन मेधान	8060406503	राभावि पाटनमेधान
4	बारा	बारा	बारा-अटक	लिसाडिया	8310102701	राभावि समरपुर
5	बारा	अटक	बारा-अटक	डोटी	8310307703	राभावि छजासा
6	बीकानेर	नोखा	नोखा	जसरासर	8030411703	राभावि जसरासर
7	बुरु	रतनगढ़	रतनगढ़	मेन्दासर	8040602801	राभावि बुधवाली
8	श्री गंगानगर	सूरतगढ़	सूरतगढ़	पद्मपुरा	8010823401	राभावि (4 पीपीएम) पद्मपुरा
9	श्री गंगानगर	श्री गंगानगर	श्री गंगानगर	11 एलएनपी	8010102701	राभावि 12 एलएनपी सिहागावाली
10	हनुमानगढ़	नोहर	नोहर	नीमला	8020219603	राभावि नीमला
11	करौली	टोडाभीम	टोडाभीम	घावन	8090311604	राभावि मोहनपुर
12	जालौर	भीलमाल	भीलमाल	कूका	8180407501	राभावि कूका
13	सवाई माधोपुर	खण्डार	खण्डार	हलीदा	8100413702	राभावि हलीदा

नोट-क्रम संख्या 02 पर अंकित विद्यालय राभावि तलवाड को सहशिक्षा के विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत कर संचालित किया जाएगा।


 निदेशक
 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
 बीकानेर

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 4(6)शिक्षा-1/2019

जयपुर, दिनांक : 07.05.2020

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :- 13 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत बजट घोषणा 2019-20 के बिन्दु संख्या 127.03 की अनुपालना में तालिका अनुसार 13 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की निम्न शर्ताधीन स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	जिला	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1.	अलवर	सहाडी	कदूमर	रामावि काटवाडी
2.	अलवर	जागुवास	बहरोड	राबामावि तलवाड
3.	अलवर	पाटन-मेवान	किशनगढ़बास	रामावि पाटनमेवान
4.	बारां	लिसाडिया	बारां	रामावि समसपुर
5.	बारां	ढोटी	अटरु	रामावि छजावा
6.	बीकानेर	जसरासर	नोखा	राबामावि जसरासर
7.	चूरु	मैनासर	रतनगढ़	रामावि बुधवाली
8.	श्री गंगानगर	पदमपुरा	सूरतगढ़	रामावि (4 पीपीएम) पदमपुरा
9.	श्री गंगानगर	11 एलएनपी	श्री गंगानगर	रामावि 12 एलएनपी सिहागावाली
10.	हनुमानगढ़	नीमला	नोहर	रामावि नीमला
11.	करौली	धावन	टोडामीम	रामावि मोहनपुर
12.	जालौर	कूका	भीनमाल	रामावि कूका
13.	सवाई माधोपुर	हलौदा	खण्डार	रामावि हलौदा

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 131900208 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

नोट :-

1. क्रम संख्या 2 पर अंकित विद्यालय राबामावि तलवाड को सह-शिक्षा के विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत कर संचालित किया जायेगा।

शर्त :-

1. विद्यालय क्रमोन्नयन सत्र 2020-21 से प्रारम्भ होंगे।
2. स्वीकृति के वर्ष सुविधानुसार कक्षा 11 व 12 एक साथ प्रारम्भ की जा सकती है।
3. उक्त विद्यालय में कला संकाय एवं संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रुचि के आधार पर विद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त कर प्रारम्भ किये जावे।

4. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दु संख्या 6.1 के अनुसार नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषय के व्याख्याता ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जावे।
5. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दु संख्या 6.3 के अनुसार नवक्रमोन्नत विद्यालय में नवसृजित व्याख्याताओं के पदों को भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में Operate किया जायेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावे।
6. क्रमोन्नत किए जाने से पूर्व विद्यालय का नाम, स्तर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति आदि के नामों की जांच सुनिश्चित कर ही आदेश जारी करावें।
7. उक्त सृजित पदों एवं समाप्त किये जाने वाले पदों के मदवार प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र भिजवाने की सुनिश्चितता करावें।

भवदीय,


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त शासन सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
7. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को भेजकर लेख है कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम करावें।
8. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राज. बीकानेर।
9. संयुक्त निदेशक, जनशक्ति विभाग।
10. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जयपुर।
11. पित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
12. उपनिदेशक, योजना, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
14. उपनिदेशक (मूल्यांकन), शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग।
15. शिक्षा (ग्रुप-2, 5, 6) विभाग।
16. नोडल अधिकारी शाला दर्शन/शाला दर्पण को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त विद्यालयों को अपलोड करवाने की सुनिश्चितता करावें।
17. रक्षित षत्रावली।


(डॉ. रणवीर सिंह)
विशेषाधिकारी-शिक्षा